अध्याय 6

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य, राजस्व व आर्थिक क्षेत्र) पर प्रस्तावना

कार्यकारी सारांश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा को कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619 के द्वारा नियंत्रित किया गया है । सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है । ये लेखे भारत के नि.म.ले.प. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा अध्याधीन हैं । सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों द्वारा नियंत्रित होती है । 31 मार्च 2012 तक दिल्ली में 17 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू 15 सरकारी कम्पनियाँ और दो सांविधिक निगम थे । राज्यीय पीएसयू में 0.48 लाख कर्मचारी नियोजित थे और 30 सितम्बर 2012 को अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखों के अनुसार 2011-12 के लिए ₹ 7341.49 करोड़ का टर्नओवर दर्ज की गई । यह टर्नओवर राज्य जी.डी.पी. का 2.34 प्रतिशत थी । पीएसयू को 2011-12 में ₹ 645.50 करोड़ का कुल घाटा हुआ और संचित घाटा ₹ 15519.42 करोड़ था ।

31 मार्च 2012 तक 17 पीएसयू में निवेश (पूंजीगत व दीर्घावधि ऋण) ₹ 28085.32 करोड़ था । यह 2006-07 के ₹ 11312.87 करोड़ से 148.26 प्रतिशत बढ़ा । सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान राज्य पीएसयू को अंशदान,ऋण और अनुदान/आर्थिक सहायता हेतु ₹ 942.96 करोड़ का योगदान किया गया ।

वर्ष 2011-12 के दौरान 17 कार्यशील पीएसयू में से वर्ष के दौरान में समाविष्ट चार नई कम्पनियों ने अपने वित्तीय विवरणों को 30 सितम्बर 2012 तक अंतिम रूप नहीं दिया था । शेष 13 पीएसयू में से आठ ने ₹ 1772.40 करोड़ का राजस्व अर्जित किया,चार ने ₹ 2417.90 करोड़ की हानि उठाई और एक पीएसयू में न हानि न लाभ की स्थिति थी । लाभ में प्रमुखतः योगदान करने वाले दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 1005.33 करोड़), इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 397.14 करोड़), प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 220.26 करोड़), दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (₹ 123.52 करोड़) और दिल्ली पर्यटन और यातायात विकास निगम लिमिटेड (₹ 20.86 करोड़) था दिल्ली परिवहन निगम (₹ 2335.13 करोड़) और दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (₹ 82.64 करोड़) को भारी घाटे हुए ।

हानियाँ होने के कारण प्रमुखतः परियोजनाओं के नियोजन,निगरानी,और कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन में कमियाँ होना था । भारत के नि.म.ले.प. के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा से पता चलता है कि राज्य पीएसयू की ₹ 1967.34 करोड़ की हानियाँ जिसे बेहतर प्रबंधन से रोका जा सकता था । पीएसयू अपनी भूमिकाएँ कुशलता से तभी निर्वाह कर सकती हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो । उपरोक्त स्थिति पीएसयू को कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता व दायित्वपूर्णता की आवश्यकता की ओर संकेत करती है ।

पीएसयू के लेखों की गुणवता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान अंतिम रूप दिए गए 12 में से नौ लेखों को सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त हुए। पाँच कम्पनियों के लेखों मे लेखा मानकों के अनुरूप न होने के सात मामले थे।

सितम्बर 2012 को आठ पीएसयू के 16 का बकाया था। इन बकायों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता है।

6.1 प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक उद्यम (पीएसयू) में राज्य सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य पीएसयू की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखकर आर्थिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए की गई है । दिल्ली में राज्य पीएसयू राज्य अर्थव्यवस्था में किए लघु परंतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । राज्य पीएसयू ने 30 सितम्बर 2012 तक नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 7341.49 करोड़ का टर्नओवर दर्ज कराया । यह टर्नओवर 2011-12 में ₹ 313934 करोड़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.34 प्रतिशत था । दिल्ली राज्य पीएसयू की गतिविधियाँ प्रमुखतः विद्युत एवं परिवहन क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं । 30 सितम्बर 2012 तक नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार राज्य पीएसयू ने कुल ₹ 645.50 करोड़ की हानि उठाई और 31 मार्च 2012 तक 0.48 लाख कर्मचारी कार्यरत थे ।

31 मार्च 2012 तक 17 पीएसयू थे (सभी कार्यशील) जिनमें 15 (11+4[1]) सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम सम्मिलित थे । इनमें से कोई भी कम्पनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज नहीं थी ।

6.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से की जाती है । धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत सरकार द्वारा धारण किया जाता हो । सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायिका को भी सम्मिलित किया जाता है । इसके अतिरिक्त ऐसी कम्पनी जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत किसी भी योग में सरकार, सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारण किया जाता है कम्पनी अधिनियम,1956 के धारा 619 बी के अनुसार सरकारी कम्पनी (मानित सरकारी कम्पनी) ही मानी जाएगा ।

राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखे (जैसा कि कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 617 में पारिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कम्पनी अधिनियम,1956 में धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम,1956 के धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित कानूनों द्वारा नियंत्रित होती हैं । दो सांविधिक निगमों में से नि.म.ले.प. दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है । दिल्ली वित्त निगम (दि.वि.नि.) के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन चार्टर्ड अकाउण्टैन्ट्स द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है ।

[1] (i) डीएसआईआईडीसी एक्जिम लिमिटेड, (ii) डीएसआईआईडीसी लिमिटेड, (iii) डीएसआईआईडीसी इनर्जी लिमिटेड और (iv) डीएसआईआईडीसी मेनटीनेन्स सर्विसेज लिमिटेड मई 2011 में समाविष्ट किए गए ।

6.3 राज्य पीएसयू में निवेश

31 मार्च 2012 तक 17 पीएसयू में (सभी कार्यशील) में कुल निवेश (पूंजीगत तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 28085.32 करोड़ था, जो **तालिका 6.1** में दिया गया है

तालिका 6.1: पीएसयू में निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
पूंजी	दीघावधि ऋण	कुल	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
7203.66	7275.68	14479.34	1810.48	11795.50	13605.98	28085.32

राज्य पीएसयू में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति **परिशिष्ट 6.1** में दी गई है।

31 मार्च 2012 तक राज्य पीएसयू में कुल निवेश में 32.10 प्रतिशत पूंजी के लिए और 67.90 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के लिए था। निवेश 2006-07 में ₹ 11312.87 करोड़ से 148.26 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में ₹ 28085.32 करोड़ हो गया, जैसा कि निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है:

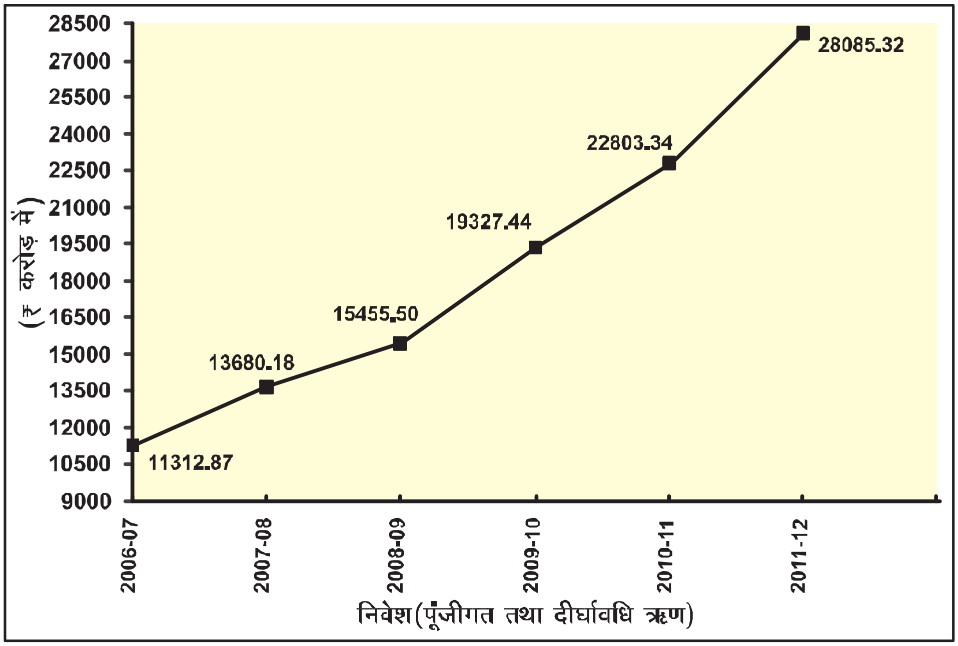

31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है:

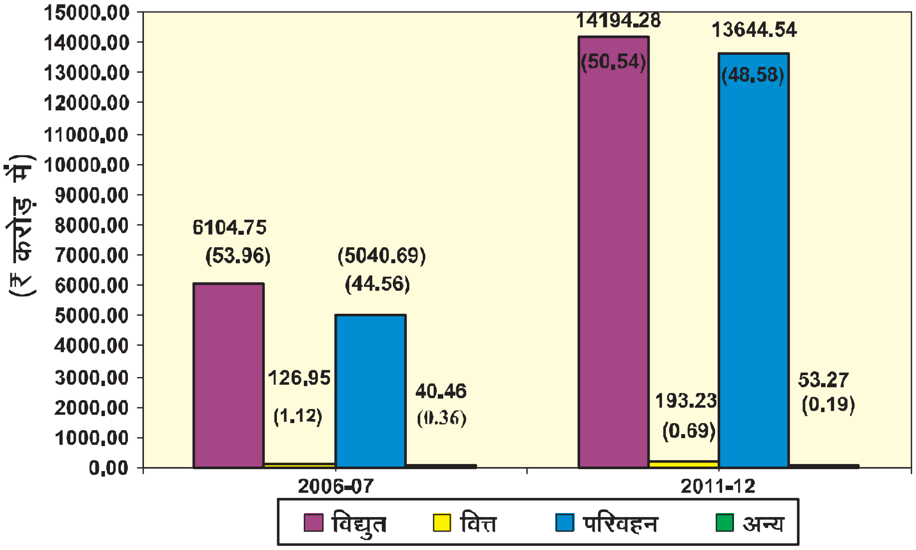

(कोष्ठकों में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)

पीएसयू में निवेश परिवहन तथा विद्युत क्षेत्रों में था। परिवहन क्षेत्र में निवेश 2006-07 में ₹ 5040.69[2] करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 13644.54 करोड़ हो गया जिसके साथ-साथ कुल निवेश में सम्बन्धित *प्रतिशत* अंश में वृद्धि 44.56 *प्रतिशत* (2006-07) से 48.58 *प्रतिशत* (2011-12) हो गई। यद्यपि विद्युत क्षेत्र में निवेश 2006-07 में ₹ 6104.75 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 14194.28 करोड़ हो गया, कुल निवेश में *प्रतिशत* अंश 53.96 *प्रतिशत* (2006-07) से घटकर 50.54 *प्रतिशत* (2011-12) हो गया।

6.4 *बजटीय व्यय, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटी तथा ऋण*

राज्य पीएसयू से संबंधित बजटीय व्यय से जारी की गई अंशदान, ऋणों, अनुदानों/आर्थिक सहायता एवं जारी गारंटी और अंशदान में बदले गए ऋणों का विवरण **अनुलग्नक 6.2** में दिया गया है। 2011-12 के अंत में गत तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है:

तालिका 6.2 राज्य पीएसयू को बजटीय व्यय

(₹ करोड में)

क्रम सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	बजट से अंशदान पूंजी व्यय	3	626.06	3	222.89	5	1300.40
2.	बजट से दिया गया ऋण	1	1981.28	1	2128.60	5	1191.01
3.	प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता	6	161.18	7	273.00	5	917.03
4.	कुल व्यय[3] (1+2+3)	7	2768.52	8	2624.49	9	3408.44
5.	अंशदान में परिवर्तित ऋण	-	-	1	239.00	-	-

[2] आंकड़े डी.आई.एम.टी.एस. में किए गए ₹ 7.30 करोड़ (अंशदान) को सम्मिलित करते है। कम्पनी 2007-08 में सरकारी कम्पनी नहीं रही।

[3] पीएसयू की वास्तविक संख्या जिन्हें बजटीय सहायता प्राप्त हुई।

6.	बट्टे खाते में डाला गया ऋण	-	-	-	-	-	-
7	वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटी	1	633.22	-	-	-	-

अंशदान, ऋण व अनुदान/आर्थिक सहायता के प्रति बजटीय व्यय का गत छः वर्षो का विवरण निम्न ग्राफ में दिया गया है:

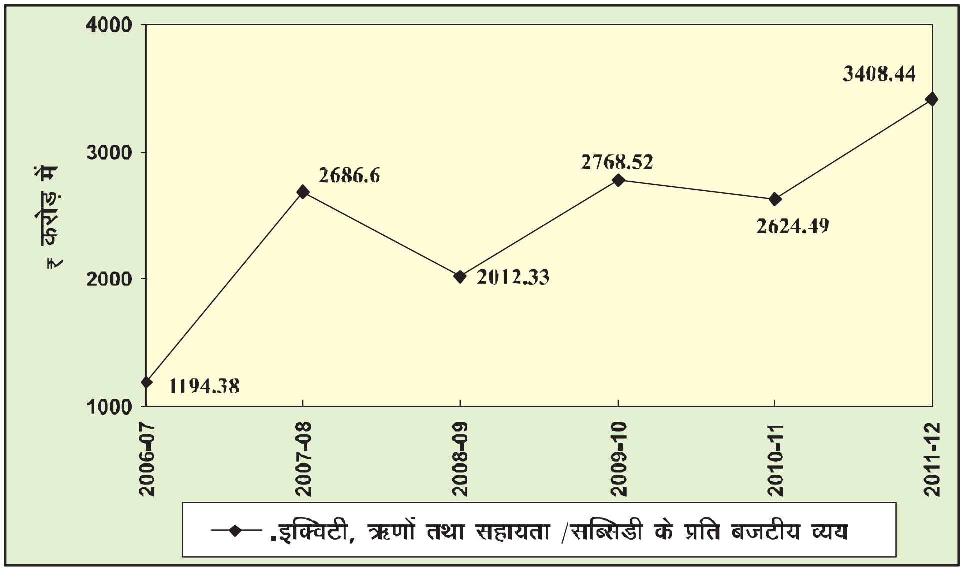

अंशदान, ऋणों, अनुदान/आर्थिक सहायता के प्रति बजटीय व्यय में 2006-07 और 2011-12 के बीच छः वर्षो की अवधि के दौरान मिली-जुली प्रवृति दिखाई देती है। यह 2006-07 में ₹ 1194.38 करोड़ की तुलना में 2011-12 में ₹ 3408.44 करोड़ था। 2011-12 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 783.95 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 के दैरान दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड (₹ 616.36 करोड़ ऋण), प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 400 करोड़ अंशदान तथा ₹ 300 करोड़ ऋण), दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड (₹ 500 करोड़ अंशदान तथा ₹ 362.35 करोड़ सहायता) तथा दिल्ली परिवहन निगम (₹ 201 करोड़ अंशदान तथा ₹ 530.90 करोड़ अनुदान) बजटीय व्यय के मुख्य प्राप्तकर्ता थे।

6.5 वित्तीय लेखों से मिलान

राज्य पीएसयू के अभिलेखों में बकाया अंशदान, ऋणों तथा गारण्टियों के आंकड़े राज्य के वित्तीय लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नही खाते हैं तो वित्त विभाग और सम्बन्धित पीएसयू को अन्तर का समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2012 तक की स्थिति **तालिका 6.3** में दी गई है:

तालिका 6.3: *समाधान न किए गए अंशदान तथा ऋणों का विवरण* (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
अंशदान[4]	8195.22	8594.09	(-) 398.87
ऋण[5]	156.56	2323.23	(-)2166.67

[4] अंशदान आकड़े में केवल राज्य सरकार का अंश सम्मिलित है।

यह पाया गया कि नौ[6] पीएसयू के सम्बन्ध में अंशदान और ऋण आंकड़ों में अन्तर था और दो कम्पनियों के मामले में (शाहजहॉनाबाद पुनर्विकास निगम तथा जियोस्पाटियल दिल्ली लिमिटेड) अन्तर का समाधान पिछले चार वर्षों से लम्बित था । सरकार व पीएसयू को एक समयबद्ध ढ़ंग से से अन्तरों को समन्वित करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए ।

6.6 सा० क्षे० उ० का निष्पादन

पीएसयू के वित्तीय परिणामों, **अनुलग्नक 6.3** में दिखाए गए हैं तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम क्रमशः **अनुलग्नक 6.4** तथा **6.5** में दर्शाए गए हैं । राज्य जीडीपी से पीएसयू टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में पीएसयू की गतिविधियों का विस्तार दर्शाता है । 2006-07 से 2011-12 के दौरान कार्यशील पीएसयू के टर्नओवर और राज्य जीडीपी **तालिका 6.4** में दिया गया हैः

तालिका 6.4ः राज्य जीडीपी से पीएसयू टर्नओवर का अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
टर्नओवर[7]	8283.41	3019.71	3555.63	5211.80	5255.01	7341.49
राज्य जीडीपी[8]	135583.65	157947.18	189533.12	223759.38	264495.61	313933.51
राज्य जीडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	6.11	1.91	1.88	2.33	1.99	2.34

पीएसयू के टर्नओवर मे 2006-07 के टर्नओवर की तुलना में 2007-08 में 63 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि एक विद्युत क्षेत्रीय पीएसयू (दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड) ने अपने मुख्य क्रियाकलापों में से 1 अप्रैल 2007 से एक प्रभावी निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत की बिक्री के लिए हस्तांतरित की थी यह आगे के वर्षों में जीडीपी से पीएसयू के टर्नओवर के प्रतिशत में महत्वपूर्ण कमी का कारण बनी । यद्यपि 2008-09 और उसके बाद पीएसयू के टर्नओवर में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है ।

राज्य पीएसयू द्वारा 2006-07 से 2011-12 के दौरान उठाई गई हानियाँ बार चार्ट में नीचे दी गई हैः

---

[5] ऋण आंकड़ा वित्तीय अभिलेखो के अनुसार सात में से चार कम्पनियों से सम्बन्धित चार में से दो पीएओ से प्राप्त हैं । शेष आकड़े प्रतिक्षित थे ।

[6] अनुलग्नक 6.1 में क्रम सं. 3, 5, 11, 15 और 17 पर कम्पनियों के अंशदान के आंकड़े तथा क्रम सं. 1, 4, 5,6,10 तथा 15 पर कम्पनियों के ऋणों के आंकड़े।

[7] टर्नओवर सम्बन्धित वर्ष में 30 सितम्बर तक के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ।

[8] दर्शाए गए आंकड़े संशोधित अनुमानों (2008-09),अनंतिम अनुमानो (2009-10),तुरत अनुमानों (2010-11) और अग्रिम अनुमानों (2011-12) के आधार पर हैं ।

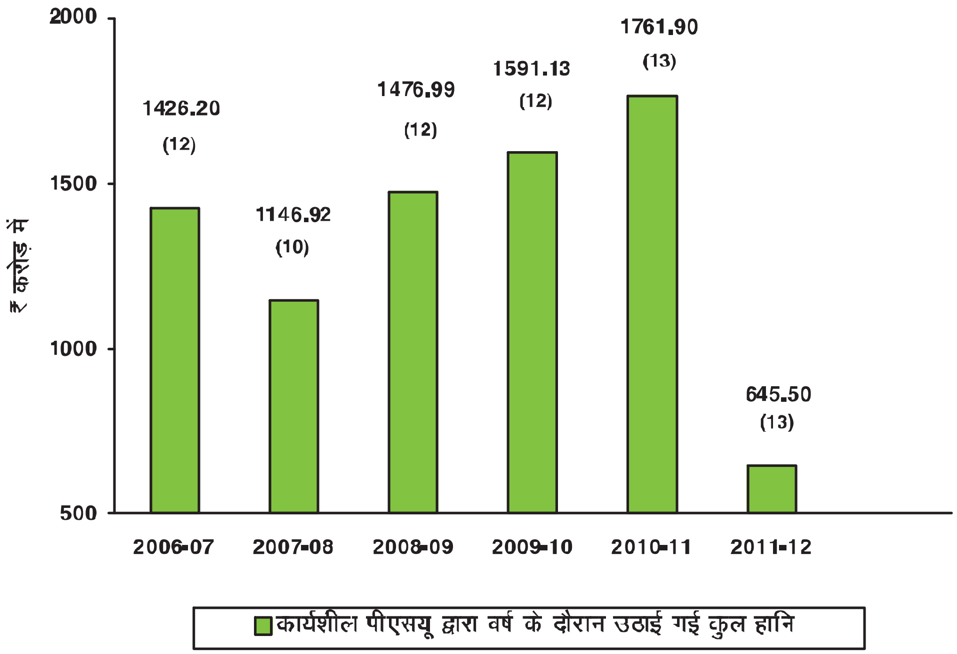

(कोष्ठक में आंकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यशील पीएसयू की संख्या दर्शाते हैं)

कार्यशील पीएसयू ने वर्ष 2006-07 के दौरान ₹ 1426.20 करोड़ की कुल हानि उठाई जो 2010-11 में बढ़कर ₹ 1761.90 करोड़ हो गई । ये हानियाँ 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से कम होकर ₹ 645.50 करोड़ हो गए । वर्ष 2011-12 के दौरान 17 कार्यशील पीएसयू में से वर्ष के दौरान चार नवीन संस्थापित पीएसयू ने 30 सितम्बर 2012 तक अपने वित्तीय परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया था । शेष 13 पीएसयू में से आठ पीएसयू ने ₹ 1772.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया, चार पीएसयू ने ₹ 2417.90 करोड़ का घाटा उठाया और एक पीएसयू न हानि न लाभ की स्थिति में था । लाभ में मुख्य रूप से योगदान करने वाले दि.ट्रा.लि. (₹ 1005.33 करोड़), आई.पी.जी.सी.एल (₹ 397.14 करोड़), पी.पी.सी.एल (₹220.26 करोड़) डी.एस.आई.आई.डी.सी (₹123.52 करोड़) और डी.टी.टी.डी.सी. (₹ 20.86 करोड़) थे । दि.प.नि.(₹ 2335.13 करोड़) और डी.पी.सी.एल. (₹ 82.64 करोड़) ने भारी हानि उठाई ।

पीएसयू से हुई हानियों के कारण प्रमुखतः परियोजनाओं के नियोजन, निगरानी कार्यान्वयन तथा वित्तीय प्रबन्धन में कमियाँ थे । नि.मे.ले.प. की नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा से पता चलता है कि राज्य पीएसयू को लगभग ₹ 1967.34 करोड़ का हानि हुई जिन्हें बेहतर प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता था ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से प्राप्त विवरण वर्षवार **तालिका 6.5** में दिया गया है:

तालिका 6.5: नि.म.ले.प. की नवीनतम लेखापरीक्षा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
शुद्ध लाभ(+)/हानि (-)	(-)1591.13	(-)1761.90	(-)645.50	(-)3998.53
नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार हानि जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता था ।	702.19	5.80	1259.35	1967.34

नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए घाटे पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं । वास्तविक नियंत्रित की जा सकने योग्य हानियां अधिक होंगे । उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि बेहतर प्रबंधन से घाटों को कम किया जा सकता था । पीएसयू अपनी भूमिकाएँ कुशलता से तभी निर्वाह कर सकती हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों । उपरोक्त स्थिति पीएसयू की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता व दायित्वपूर्णता की आवश्यकता की ओर संकेत करती है ।

राज्य पीएसयू से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व **तालिका 6.6** में दिए गए हैं ।

तालिका 6.6: राज्य पीएसयू के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूंजी पर रिटर्न *(प्रतिशत)*	-	6.78	-	0.48	-	10.45
ऋण	10452.39	7857.61	8910.50	12155.74	15089.70	19071.18
टर्नओवर[9]	8283.41	3019.71	3555.63	5211.80	5255.01	7341.49
ऋण/टर्नओवर अनुपात	1.26:1	2.60:1	2.51:1	2.33:1	2.87:1	2.60:1
ब्याज भुगतान	964.81	1302.00	1474.21	1614.00	1578.67	2140.48
संचित लाभ/(हानियाँ)	(8712.51)	(10851.79)	(12395.49)	(14266.66)	(14242.56)	(15519.42)

(उपरोक्त आंकड़े सभी पीएसयू से सम्बन्धित हैं) ।

उपरोक्त आंकड़े पीएसयू की वित्तीय स्थिति में अवनति को दर्शाते हैं । 2006-07 और 2011-12 के बीच नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) के *प्रतिशत* में मिली-जुली प्रवृत्ति दिखाई देती है । 2006-07,2008-09 और 2010-11 के दौरान आरओसीई ऋणात्मक था । यह 2011-12 के दौरान 10.45 *प्रतिशत* था । टर्नओवर से ऋण का अनुपात 2006-07 से घटता जा रहा है और इसे 2011-12 मे 2.60:1 दर्ज किया गया । संचित घाटे भी 2006-07 और 2011–12 के दौरान सतत वृद्धिशील रहे।

आठ[10] पीएसयू ने उनके नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 1772.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया परंतु केवल दो कम्पनियों अर्थात दि.ट्रा.लि. तथा डी.टी.टी.डी.सी. ने ₹ 11.85 करोड़ और ₹ 0.63 करोड़ का कमशः लाभांश घोषित किया ।

---

[9] सम्बन्धित वर्ष (30 सितम्बर तक) में नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार कार्यशील पीएसयू का टर्नओवर ।

6.7 खातों का अंतिम रूप देने में बकाए

कम्पनी अधिनियम 1956 के धाराओं 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कम्पनियों के लेखों को सम्बन्धित वित्त वर्ष के अंत से छः महीनो के भीतर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है,उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 30 सितम्बर 2012 को कार्यशील पीएसयू के अन्तिम लेखों का विवरण **तालिका 6.7** में दिया गया है ।

तालिका 6.7: 30 सितम्बर 2012 को कार्यशील पीएसयूके अन्तिम लेखे

क्रम सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यशील पीएसयू की संख्या	10	12	12	13	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम किए गए लेखों की संख्या	14	11	14	11	12
3.	बकाया मे लेखों की संख्या	10	11	9	11	16
4.	प्रति पीएसयू औसत बकाए (3/1)	1.00	0.92	0.75	0.85	0.94
5.	कार्यशील पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	2	3	3	4	८[11]
6.	बकायों का विस्तार	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष

प्रति कार्यशील पीएसयू बकाया खातों की औसत संख्या 2007-08 में 1.00 से घटकर 2011-12 में 0.94 हो गई। एक पीएसयू अर्थात दिल्ली अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक एवं विकालांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नौ वर्षों के खातों का बृहत अवशिष्ट कार्य था। अन्य पी एस यू के पास 30 सितम्बर 2012 तक केवल एक वर्ष के लेखों का बकाया था ।

राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान तीन पीएसयू में ₹ 942.96 करोड़ (अंशदानः ₹ 369.68 करोड़,ऋणः ₹ 37.14 करोड़ और अनुदान/आर्थिक सहायताः ₹ 536.14 करोड़) का निवेश किया,जिनके लेखों को अभी अंतिम किया जाना शेष था, जिसका **अनुलग्नक 6.6** में विवरण दिया गया है । खातों की अनुपलब्धता और तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश व उसमें हुए व्यय को समुचित लेखों में सम्मलित कर लिया गया हैं तथा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि का निवेश किया गया वह पूर्ण हुआ है या नहीं । इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम,1956 के प्रावधानों के उल्लघन के अतिरिक्त जालसाजी और जननिधि की बर्बादी का खतरा उत्पन्न होता है ।

[10] अनुलग्नक 6.3 में क्रम सं. 1,2, 5, 6, 7, 8, 9 और 12

[11] अनुलग्नक 6.3 में क्रम सं. 1, 2. 11 और 13 एवं चार नवीन निर्मित कम्पनियाँ

प्रशासकीय विभागों पर इन तत्वों की गतिविधियों की निगरानी का तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है कि लेखों को इन पीएसयू द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अंतिम रूप दिया और अंगीकृत किया जाये । परिणामस्वरूप इन पीएसयू का निवल मूल्य का आंकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया गया । एक समयबद्ध ढंग से बकाया लेखों के निष्पादन हेतु लेखों को अंतिम रूप देने के मामले पर प्रतिमाह प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से चर्चा की जाती है । दिसम्बर 2012 में इस मामले को प्रमुख सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी उठाया गया ।

6.8 लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

6.8.1 सरकारी कम्पनियाँ

नौ कार्यशील लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को अपने दस लेखापरीक्षित किए गए लेखों को अग्रेषित किया । इनमें से नौ लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए और एक लेखे को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र दिया । नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है । सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य का विवरण **तालिका 6.8** में दिया गया हैः

तालिका 6.8ः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	4	17.48	3	7.90	3	10.68
2.	लाभ में वृद्धि	4	86.71	-	-	1	47.55
3.	हानि में वृद्धि	1	7.52	1	381.88	1	220.31
4.	हानि में कमी	1	1.00	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का उजागर न करना	5	242.27	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	3	4.30	2	20.87	2	22.71

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखों को बिना-शर्त प्रमाणपत्र और सात खातों को सशर्त प्रमाणपत्र प्रदान किया। इसके अतिरिक्त नि.म.ले.प. ने पूरक लेखापरीक्षा के बाद दो खातों को सशर्त प्रमाणपत्र, सात खातों को बिना-शर्त प्रमाणपत्र और एक खाते को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र प्रदान किया । वर्ष के दौरान लेखा मानकों के अनुपालन न होने के सात दृष्टान्त थे ।

वर्ष 2011-12 के दौरान जिन कम्पनियों के लेखों को अंतिम रूप दिया गया उनके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्न हैः

दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (2011-12)

- लेखा मानक-13 में कहा गया है कि दीर्घावधि निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा में कमी को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाए । कम्पनी का दि.ट्रा.लि. में ₹ 260 करोड़ का अंशदान निवेश (₹ 10 प्रत्येक के 2600 लाख अंश) 31-03-2011 तक ₹ 1.5267 प्रति अंश नियत हुआ था, जिससे फलस्वरूप अंशदान निवेश का मूल्य कम होकर ₹ 39.69 करोड़ रह गया । निवेश के मूल्य के कमी को लाभ व हानि खाते में नहीं डाला गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 220.31 करोड़ के लाभ का अधिक आकलन किया गया ।

इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (2011-12)

- कार्पेट कोल की ₹ 3.97 करोड़ की लागत को ईंधन उपयोग के बजाय मरम्मत एवं रखरखाव (पूर्व अवधि खर्चे) में दर्ज किया गया ।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (2011-12)

- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी "परिसम्पत्तियों की हानि" पर लेखा मानक-28 का अनुपालन न किए जाने से ₹ 0.76 करोड़ के हानिकरण घाटों हेतु प्रावधान नहीं किया गया। इस कारण लाभ और सम्पत्ति का ₹ 0.76 करोड़ से अधिक आकलन किया गया।

दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना निर्माण निगम (2010-11)

- डीएसआईआईडीसी को दिल्ली सरकार की ओर से नियत विभागीय प्रभारों के आधार पर क्रियान्वयक अभिकरण के रूप में सीईटीपी योजना के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके लिए पिछले वर्ष में सीईटीपी योजना से हुई ₹ 47.55 करोड़ की आय के प्रति कम्पनी ने वर्ष 2008-09 में प्रावधान किया। इस विषय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे कि निगम की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में कोई बाध्यता थी । इसे ध्यान में रखते हुए किया गया प्रावधान लेखा मानक-29 जो आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियों के प्रावधान करने, हेतु लागू होता है, के अनुरूप नहीं था।
- कम्पनी ने 2919 वर्क सेन्टरों के स्थानान्तरण के लिए ₹ 11 करोड़ के वास्तविक प्रतिफल की प्राप्ति के सम्बन्ध में नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु ₹ 12.26 करोड़ के पूर्णतः प्रदत्त अंशदान अंशों का आवण्टन किया (1993-94)। कम्पनी वसूली योग्य बकाया राशि ₹ 1.16 करोड़ (1998-99 में ₹ 10 लाख प्राप्ति को समायोजित करने के बाद) रा.रा.क्षे.दि.स. से पुष्टि के बिना दर्शा रही है।
- कम लागत हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत बवाना में 896 फ्लैटों के निर्माण के संबंध में ₹ 34.84 करोड़ के व्यय की बुकिंग में बिलों की अनुपस्थिति में अन्नतिम/अनुमानित आधार पर दर्ज किया गया ₹ 2.08 करोड़ का व्यय सम्मिलित था ।
- बवाना रीलोकेशन इन्डस्ट्रीयल स्कीम के संबंध में, दि.ट्रा.लि. (पूर्व में दि.वि.बो.) ने पूर्व वर्ष के उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार ₹ 10.86 करोड़ की मांग की ।

नवीनतम उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 30.11.10 के अनुसार, दि.ट्रा.लि. ने ₹ 8.13 करोड़ की मांग की । इन आंकड़ों में अन्तर का समाधान अभी नहीं हुआ था। क्योंकि समाधान प्रक्रिया पिछले काफी वर्षों से बकाया थी, कम्पनी ने अधिक व्यय के किसी प्रावधान को दर्ज नहीं किया था जैसा कि दि.ट्रा.लि. द्वारा दावा किया गया है। इसके प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया।

- पाकेट-बी, बवाना औद्योगिक काम्प्लेक्स में 626 फ्लैटों को तुलन पत्र में दर्शाये गये लेकिन इन फ्लैटों का रूपए में परिवर्तित किए जाने योग्य शुद्ध मूल्य वास्तविक लागत से कम था । यह लेखा मानक-2 (सामग्री सूची का मूल्यांकन) का उल्लंघन था । इससे लाभ को ₹ 1.10 करोड़ अधिक बताया गया ।
- कम्पनी ने लेखा मानक15 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा योजना पर लेखा नीतियों को प्रकट नहीं किया था ।

6.8.2 सांविधिक निगम

इसी प्रकार दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अक्टूवर 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए दो लेखे अग्रेषित किए। इनमें से एक निगम दि.प.नि. के खाते की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के डीपीसी एक्ट,1971 के अनुबन्ध 19 के अन्तर्गत की गई तथा दूसरे निगम दि.वि.नि. का एक लेखा पूरक लेखापरीक्षा के लिए लिया गया । सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है । सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का सकल धन मूल्य **तालिका 6.9** में दिया गया हैः

तालिका 6.9: सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का धन मूल्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12[12]	
		खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	0.05	1	0.10
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.26	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	543.05	1	1677.89	1	11.34
4.	हानि में कमी	1	1.17	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर न करना।	1	19.43	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	1	3.82	2	15.99	2	18.68

12 खाता पर अभ्युक्तियों का प्रभाव दिल्ली परिवहन निगम के सम्बन्ध में वर्ष 2010-11 के तथा दिल्ली वित्त निगम के सम्बन्ध में वर्ष 2011-12 के लिए है ।

वर्ष के दौरान दो निगमों के दो खातों में से अर्थात दि. वि. नि. को सांविधिक लेखापरीक्षकों से बिना-शर्त प्रमाण पत्र तथा नि.म.ले.प. से सशर्त प्रमाण दिया गया। दि.प.नि.के संबंध में,जहाँ नि.म.ले.प. एकमात्र लेखापरीक्षक है, 2011-12 वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रगति में है (जनवरी 2013)

सांविधिक निगमों के लेखों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ थीः

दिल्ली वित्त निगम (2011-12)

निगम द्वारा दिल्ली वित्त निगम,(सामान्य) विनियम, 2006 के वि. नियम 93 के प्रपत्र सी की तुलना में तुलनपत्र में परिवर्तन किए गए थे।

- बैकों में पेंशन निधि खातों के सम्बन्ध में मियादी जमा (₹ 11.80 करोड़) को अन्य परिसम्पतियाँ के अन्तर्गत दर्शाया गया जबकि विनियमों के अनुसार पेंशन निधि जमाओं को 'अन्य देयताओं' के अन्तर्गत दि.वि.नि. कर्मचारी पेंशन निधि से घटाया जाना चाहिए था जिससे अन्य परिसम्पत्तियों और अन्य देयताओं का ₹ 11.80 करोड़ अधिक बढ़ाकर बताया गया था।
- जारी किए गए परंतु अदायगी के लिए प्रस्तुत न किए गए चेक के समबन्ध में ₹ 2.63 करोड़ की देयता को नकद व बैंक अधिशेष में से घटाया गया, जबकि विनियमों के अनुसार उक्त देयता को पृथक दर्शाया जाना चाहिए था, जिससे नकद व बैंक अधिशेष और अन्य देयताओं में ₹ 2.63 करोड़ का कम दर्शाया गया।
- मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान ₹ 44.68 लाख को "ऋण व अग्रिम" में समायोजित किया गया जबकि विनियमों के अनुसार प्रावधान को शीर्ष "प्रावधानों" के अन्तर्गत तुलन-पत्र के देयता की ओर दर्शाया जाना चाहिए जिससे ऋण तथा प्रावधानों का ₹ 44.68 लाख कम दर्शाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के खातों में उक्त कमियों को ध्यान में लाये जाने के बाद भी निगम द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

दिल्ली परिवहन निगम (2010-11)

- निगम ने ग्रैच्युटी हेतु देय ₹ 0.78 करोड़ का ग्रैच्यूटी फण्ड एडजस्टमेन्ट अकाउण्ट के बजाय ग्रैच्यूटी फण्ड अकाउन्ट में समायोजन किया जिससे एक सी धनराशि से ग्रैच्यूटी फण्ड एडजस्टमेन्ट अकाउण्ट को अधिक और ग्रैच्यूटी फण्ड अकाउण्ट में कम दर्शाया गया।
- निगम ने ₹ 1.36 करोड़ के अधिक और निष्प्रयोज्य भण्डारों के शुद्ध उद्ग्रहणीय अनुमान को दर्शाया है। यद्यपि निगम ने लेखा मानक-2 के अनुसार ₹ 0.36 करोड़ (*26.18 प्रतिशत*) लगाया था। इससे स्टॉक एवं ट्रांजिट में भण्डारों तथा सामान को अधिक और वर्ष की हानियों को ₹ 1.00 करोड़ प्रत्येक को कम बताया गया।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि के क्रय हेतु जमा के रूप में ₹ 1.56 करोड़ अग्रिम के रूप में दिए गए। इसे विविध ऋणी के बजाय ऋण व अग्रिम के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इससे ₹ 1.56 करोड़ से विविध ऋणी एवं अन्य प्राप्य को अधिक और अग्रिम तथा जमा में कम दर्शाया गया है।

- निगम को एक विज्ञापन कर्ता से अनुज्ञप्ति शुल्क वसूलने थे जिसका मामला न्यायाधीन था। निगम ने उद्ग्रहणीय अनुज्ञप्ति शुल्क पर ₹ 9.38 करोड़ का ब्याज स्वीकार किया। चूंकि मामला न्यायाधीन था, ब्याज आय की मान्यता त्रुटिपूर्ण थी। इससे विविध ऋणी को अधिक और अनुद्ग्रहणीय ऋणों हेतु प्रावधान को कम बताया गया और परिणामस्वरूप हानियों को ₹ 9.38 करोड़ कम बताया गया।
- निगम ने इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को कॉमनवेल्थ गेम्स परियोजना हेतु डीटीसी बस पार्किंग के आईपी पावर स्टेशन पर अधिष्ठापित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम (आईएसएस) हेतु ₹ 0.78 करोड़ प्रदान किए। ठेकेदार ने कार्य पूर्ण कर ₹ 1.46 करोड़ का अंतिम बिल जमा किया परंतु निगम ने इसका हिसाब नहीं दिया है। इससे अग्रिम व जमाओं को ₹ 0.78 करोड़ अधिक और परिसम्पत्तियों को ₹ 1.46 करोड़ कम, वर्तमान देयताओं का ₹ 0.68 करोड़ कम, अवमूल्यन और साथ ही साथ हानियों दोनों को ₹ 0.58 करोड़ कम बताया गया।
- वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 0.45 करोड़ के अनुषंगी लाभ कर का यद्यपि निगम द्वारा प्रावधान किया गया, परंतु इसकी अदायगी नहीं की। इसपर ब्याज देयताएँ भी खातों में प्रदान नहीं की गई हैं। इससे वर्तमान देयताएँ व हानियों को ₹ 0.11 करोड़ कम बताया गया।
- लेखा मानक 12 के उल्लंघन में अपनी वित्तीय विवरणियों में सरकारी सहायता के समाधान के लिए अपनायी गई लेखांकन नीति को कॉरपोरेशन ने प्रदर्शित नहीं किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउण्टेन्टस) द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत उन्हें नि.म.ले.प. द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो उनकी पहचान करना अपेक्षित है। एक कम्पनी[13] के सम्बन्ध में वर्ष 2010-11 के लिए और चार कम्पनियों[14] के संबंध में वर्ष 2011-12 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य टिप्पिणियाँ का निदर्शी सारांश **तालिका 6.10** में दिया गया है:

तालिका 6.10: सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों का सार

क्रम सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पिणियाँ की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या	अनुलग्नक 6.3 के अनुसार कम्पनियों का क्रम सं. संदर्भ
1.	भण्डार और अतिरिक्त वस्तुओं की न्यूनतम/अधिकतम सीमाओं का निर्धारण न होना	5	क-2, 5, 6, 7 व 8
2.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र का न होना	5	क -2, 5, 6, 8 व 9

13 अनुलंग्नक 6.3 में क्र.सं.2

14 अनुलंग्नक 6.3 में क्रम सं. 6, 7, 8 और 9

3.	परिमाणात्मक विवरण, स्थितियों, पहचान संख्या, प्राप्तियों की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों को अवमूल्यन के बाद मूल्य और उनकी अवस्थिति दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का रखरखाव न किया जाना	5	क-2, 6,7,8 व 9

6.9 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

निजी शराब आपूर्तिकर्ता दिल्ली में विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर शराब की आपूर्ति करते हैं तथा दि.रा.औ.अ.वि.नि. आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान करता है । वर्ष 2003-04 तक, भुगतान नीति ने विनिर्दिष्ट किया कि आपूर्तिकर्त्ताओं को सात दिनों के पश्चात भुगतान किया जाऐगा यदि वे एक प्रतिशत नकद छूट अनुमत करते हैं । वर्ष 2004-05 से ये नीति को बंद कर दिया गया । नवम्बर 2008 में दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए एक संशोधित आदेशकारी नीति को अपनाया। लेकिन उसी समय, दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने समीक्षा नहीं की तथा एक प्रतिशत नगद छूट नीति पुनः आरम्भ नहीं की । लेखापरीक्षा ने बताया कि यदि आपूर्तिकर्त्ताओं के 50 *प्रतिशत* बिलों का भुगतान भी एक सप्ताह के समय में कर दिया गया होता तो 2009-12 की अवधि के दौरान दि.रा.औ.अ.वि.नि. ₹ 3.74 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता था । लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर, दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने समीक्षा की तथा नकद छूट नीति को पुनः प्रारम्भ किया तथा ₹ 6.24 लाख नवम्बर 2012 तक अर्जित किए।

6.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की स्थिति

नि.म.ले.प. द्वारा सांविधिक निगमों के लेखों पर जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.) सरकार द्वारा विधायिका में प्रस्तुत किए जाते है । पृ.ले.प. को विधायिका में प्रस्तुति की तिथि **तालिका 6.11** में दी गई है ।

तालिका 6.11 विधायिका में पृ.ले.प. प्रस्तुत करने की स्थिति

क्रम सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक विधायिका में पृ.ले.प. प्रस्तुत किया गया	जिन वर्षों के पृ.ले.प. विधायिका में प्रस्तुत नहीं हुए		
			पृ.ले.प. का वर्ष	सरकार को जारी किए जाने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारण
1	दिल्ली परिवहन निगम	2010-11	-	-	-

6.11 पीएसयू का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनसंगठन

राज्य सरकार ने 2011-12 के दौरान किसी राज्य पीएसयू के विनिवेश,निजीकरण एवं पुनसंगठन का कार्य अपने हाथों में नहीं लिया ।